



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक— 885 / 1 सी० वन

दिनांक 29/06/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड़—डिडोली—पारतोली—किमोली मोटर मार्ग के अन्तर्गत नव निर्माण हेतु 2.20 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/62388/2020)

सन्दर्भ— आपका पत्रांक संख्या 1128 / 12-1 दिनांक 26.8.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि ग्वाड़—डिडोली—पारतोली—किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.20 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या ०८वी/यूसी०पी०/०६/२०२१/एफ०सी०/९२८ दिनांक 29.10.2021 द्वारा प्राप्त है। विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या ३ प्रतियो में संलग्न कर आपके पत्रांक संख्या 1128 / 12-1 दिनांक 26.8.2023 द्वारा वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी को प्रेषित की गई है। परन्तु आतिथि तक भी कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृत हेतु उच्च स्तर को पत्र प्रेषित करने की कृपा किजियेगा। ताकि विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

पत्रांक संख्या

/ १ सी० वन

तददिनांक

प्रतिलिपि— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट

कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— सहायक अभियन्ता प्रथम नि०ख०ल०नि०वि० गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
गौचर

भवद्वय  
29/06/24  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
गौचर  
29/06/24

# ॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo\_badrinath\_utta@yahoo.co.in  
गोपेश्वर,

दिनांक

Phone no-01372-252175

26/08

2023।

पत्रांक  
सेवा में,

वन संरक्षक,  
गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड,  
पौड़ी।

विषय:-

नव निर्माण हेतु 2.20हें० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन। (online  
Proposal- FP/UK/Road / 62388 / 2020

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक  
08बी/यूसी०पी०/06/80/2021/एफ०सी०/928 दिनांक 29.10.2021.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरवाल द्वारा विषयाकृत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे सलग्नको सहित निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र०	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
सं०		
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के विधिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
3	<p>प्रतिपूरक वनीकरण</p> <p>(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.40हें० सिविल सोयम भूमि ग्राम ग्वाड खसरा सं० 1469 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय। तथा प्रजातियों की एकल लाठेशन से बचें। क्योंकि कुल 4.4हें० भूमि में से 1.0हें० भूमि MDF है। अतः राज्य सरकार गाइडलाइन पैरा 2.4(Vi) के अनुसार शेष 1000वृक्षों का वृक्षारोपण कार्ययोजना के अनुसार अन्यत्र Degraded Forest land में लगायेगी तथा इस क्षेत्र का DGPS मानचित्र Shape File पृथक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।</p> <p>(ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।</p> <p>(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927, के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।</p> <p>(घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा। की उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।</p> <p>(इ) The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC Works, the proposed Catchment area treatment and the WLMR area shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking stage-II approval, as the case may be.</p>	<p>(क) ग्राम ग्वाड सिविल भूमि 4.40हें० भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण करते समय स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां को लगाया जायेगा तथा मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।</p> <p>प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया स्थलीय निरीक्षण में दिखायी देने वाली 1.00हें० MDF में स्थानीय झाड़ियां होने के कारण MDF दिखाई दे रही है उक्त स्थल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। (संलग्न-1)</p> <p>(ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।</p> <p>(ग) ग्राम ग्वाड सिविल भूमि 4.40 हें० भूमि का जिलाधिकारी चमोली द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जा चुका है (संलग्न-2) तथा उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित प्रमाण पत्र सलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-3)</p> <p>(घ) सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है प्रमाण पत्र सलग्न है। (संलग्न-4)</p> <p>(इ) मोटर मार्ग की के०ए०ए०ल० फाईल, सी०ए० स्थल की के०ए०ए०ल० फाईल ई-ग्रीन वॉच पर अपलोड कर दी गयी है।</p>
4	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भन की पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक</p>	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत ₹० 1631969.00 की धनराशि ऑनलाइन चालान दिनांक 07.03.2022 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (₹० 16,31,939.00 का क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन संलग्न-5)</p>

	कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की (ख) इस संबंध में आई0ए0 50 556 दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मत्रीमडल 5-1998-एफ.सी. (PT) दिनांक 18.09.2003 द्वारा पत्रांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी.0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेन्सी से इस प्रस्ताव दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेन्सी से इस प्रस्ताव के तहत 2.2 है 0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) प्रिशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध मूल्य अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रु 14,45,400.00(रु चौदह लाख पैंतालीस हजार चार रु) ऑनलाईन चालन दिनांक 07.03.2022 द्वारा जमा की जा चुकी है। (चालन की प्रति संलग्न-6)
5.	(ख) प्रिशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध मूल्य अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित वचन बदला का प्रमाण पत्र संलग्न की गयी है (संलग्न-7 )।
6.	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 128 दर्शाई गई है। किन्तु इसमें डम्पिंग क्षेत्र के वृक्ष भी सम्मिलित प्रतीत होते हैं। राज्य शासन द्वारा डम्पिंग क्षेत्र में उपस्थित वृक्षों की सूची पृष्ठक से प्रस्तुत की जायेगी तथा इन वृक्षों के पातन की अनुमति नहीं रहेगी पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अधिकरण राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अधिकरण राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण कोष प्रबन्धन और राज्य प्राधिकरण फण्ड में जमा किया जायेगा।	परियोजना के तहत प्राप्त धन ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण कोष प्रबन्धन और राज्य प्राधिकरण फण्ड में जमा किया गया है। संलग्न-6 के अनुसार।
8.	गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पेरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य आरम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाइ से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य क अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9.	एफआरए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा।
10.	प्रयोक्ता एजेन्सी आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीच बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीच बीच पौधों की संख्या बढ़ायी जायेगी।
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ-साथ विनियक साइनेज लगाए जायेंगे।
12.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नहीं बदला जायेगा।
14.	वनभूमि पर कोई भी अमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन की किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
16.	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलस द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए उन्नेत्र के भन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।

	बनाया जायेगा।	
18.	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
19.	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
20.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल सख्ता 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
21.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
22.	प्रयोक्ता एजेन्सी पूर्वविनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजाति के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौंपेंगे से पूर्व इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयद्वंद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी, एवं राज्य सरकार डम्पिंग क्षेत्र के वृक्षों की सूची पृथक से इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
23.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी को जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
24.	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic.nic/">https://parivesh.nic.nic/</a> ) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन आख्या ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic.nic/">https://parivesh.nic.nic/</a> ) पर अपलोड की जा चुकी है।

उपरोक्त प्रकरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या की 03 प्रति संलग्न कर इस आख्य से प्रेषित की जा रही है, उक्त प्रकरण के विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।  
संलग्न- यथोपरि।

मवदीय,

सर्वेश कुमार )

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक- 1128 , 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

वनभूमि सदापक

पाठ्य  
०१०११३  
४-१-२०२३

प्रतिलिपि- सदृष्ट II नं रखा गया।  
गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

डायरी सं 1416

फाईल सं 1 सूचना

दिनांक ०४/०१/२०२३

सर्वेश कुमार )  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



## कार्यालय अधिकारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक— १२७ / १सी० (वन)

दिनांक २७ / ०७ / २०२२

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
 बद्रीनाथ वन प्रभाग  
 गोपेश्वर।

## विषय:-

जनपद चमोली में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के अन्तर्गत नव निर्माण हेतु 2.2 हेठले वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online proposal No- FP/UK/ROAD/62388/2020)

## सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं-०४बी/यू०सी०पी०/०६/८०/२०२१/एफ०सी०/९२८ दिनांक 29.10.2021 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्रांक संख्या 1133/FP/UK/ROAD/62388/2020 दिनांक 02.11.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद चमोली में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के अन्तर्गत नव निर्माण हेतु 2.2 हेठले वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 24 शर्तों की अनुपालन आव्याय बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	उत्तर
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि सौंपे जाने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3 (क)	<p>प्रतिपूरक वनीकरण</p> <p>वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.4 हेठले सिविल सौयम भूमि ग्राम ग्वाड खसरा नं० 1469 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। क्योंकि कुल 4.4 हेठले भूमि में से 1.0 हेठले भूमि MDF है। अतः राज्य सरकार गाईडलाइन पैरा 2.4 (vi) के अनुसार शेष 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्ययोजना के अनुसार अन्यत्र Degraded Forest land में लगायेगी तथा इस क्षेत्र का DGPS मानचित्र, Shape file पृथक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।</p>	यह बिन्दु आपके स्तर सम्बन्धित है।
ख	श्रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	यह बिन्दु आपके स्तर सम्बन्धित है।

ग	<p>गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ०सी०ए० 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।</p>	<p>क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.400 हैं भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 3827/ छब्बीस-18 (2021-22) गोपेश्वर दिनांक 11.4.2022 द्वारा किया जा चुका है। जिसका Notification भी राजस्व अभिलेखों में किया जा चुका है। उक्त भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित आपके स्तर से किया जाना है।</p> <p><b>संलग्न 1-</b> जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 3827/ छब्बीस-18 (2021-22) गोपेश्वर दिनांक 11.4.2022 की छायाप्रति।</p>
घ	<p>वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।</p>	<p>यह बिन्दु आपके स्तर सम्बन्धित है।</p>
ङ	<p>The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.</p>	<p>यह बिन्दु आपके स्तर सम्बन्धित है।</p>
4	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।</p>	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत ₹० 1631969.00 की धनराशि ऑनलाइन चॉलन दिनांक 7.3.2022 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।</p> <p><b>संलग्न 2-</b> चालान ₹० 3077369.00 की मूल प्रति।</p>
5	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के मा० सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.2 है० वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p>	<p>प्रस्ताव के तहत 2.2 है० वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि ₹० 14,45,400.00 ऑनलाइन चॉलन दिनांक 7.3.2022 द्वारा जमा की जा चुकी है। (संलग्न 2 के अनुसार)</p>

(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माझे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तीत वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, जिसे कोई हो, जो अतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	एनोपी०वी० की दरों में बढ़ोतरी से सम्बन्धित बचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। संलग्न ३— एनोपी०वी० की बचन बद्धता का प्रमाण पत्र।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तीत वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा। प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 128 वर्शाई गई है किन्तु इसमें डिपिंग क्षेत्र के वृक्ष भी समिलित प्रतीत होते हैं। राज्य शासन द्वारा डिपिंग क्षेत्र में उपस्थित वृक्षों की सूची पृथक से प्रस्तुत की जायेगी तथ इन वृक्षों के पातन की अनुमति नहीं रहेगी। पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	खण्ड द्वारा पेड़ों की कटाई न्यूनतम की जायेगी तथा डिपिंग क्षेत्र के वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। वृक्षों का पातन राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा एवं कटाई की लागत वन विभाग को जमा की जाएगी।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्राप्त धन ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में जमा किया गया है। संलग्न ४— ई-पोर्टल पर जमा की गयी राशि की छायाप्रति।
8	गाइडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	यह बिन्दु आपके स्तर सम्बन्धित है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	खण्ड द्वारा एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	खण्ड द्वारा आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ायी जायेगी।

11	संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियक साइनेज लगाए जाएंगे।	खण्ड द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियक साइनेज लगाए जायेंगे।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले—आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले—आउट प्लान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नहीं बदला जाएगा।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	खण्ड द्वारा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन विभाग द्वारा दिया जायेगा।
16	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/backward bearings अंकित हो।	शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	खण्ड द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति हो हस्तातंरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 एफ0सी0 दिनांक 29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त मान्य है।

22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी एवं राज्य सरकार डम्पिंग क्षेत्र के वृक्षों की सूची पृथक से इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> ) पर अपलोड की जाएगी।	खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> ) पर अपलोड की जा चुकी है।

संलग्न— उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

मवदीम

(इ० दिनेश कुमार विज्ञान)  
अधिशासी अभियन्ता  
३१/१२१

पत्रांक

/1 सी० वन

तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो०नि०वि० देहरादून।
- 3— मुख्य अभियन्ता स्तर-१ लो०नि०वि० पौड़ी।
- 4— जिलाधिकारी चमोली।
- 5— अधीक्षण अभियन्ता ०७वॉ वृत्त, लो०नि०वि० गोपेश्वर।
- 6— सहायक अभियन्ता तृतीय, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० गौचर।

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
गौचर (चमोली)

## आदेश -


जनपद चमोली में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार गवाड-डिलोली-शिवलोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण से प्रभावित होने वाली 2.200हेक्टर भूमि के साथैक्षणिक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.400 हैं। सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं०-०८वीं/यू०सी०पी० /०६/ १८ / २०२१/ एफ०सी०/९२८ दिनांक 29.10.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(कौ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रीमान् कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-०८वीं/यू०सी०पी० /०६/ १८ / २०२१/ एफ०सी०/९२८ दिनांक 29.10.2021 की शर्त सं०-३(क) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार गवाड-डिलोली-शिवलोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण से प्रभावित होने वाली 2.200हेक्टर भूमि के एकजू में ग्राम गवाड, रा०उ०नी० क्षेत्र कनखुल, तहसील कर्णप्रयाग की ख०खा०सं०-२१ के खसरा सं०-१५६० रुक्का 4.546 हेक्टर भूमि मध्ये 4.400 हेक्टर भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-९(३)ड. अन्य कृषि योग्य बंजार भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-२१७३ / XVIII (II) / 2012-18(120) / 2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(हिमांशु खुराना),  
जिलाधिकारी,  
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।  
संख्या: ३४२७ / छबीस-१४ (2021-2022) गोपेश्वर: दिनांक: ॥ अप्रैल, 2022  
प्रतिलिपि:- निमांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
 1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।  
 2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।  
 3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-४ उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।  
 4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।  
 5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
 6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।  
 7. उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार, चमोली/ कर्णप्रयाग।  
 8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।  
 9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नी०वी०, गौचर।

Reader (Sdm. cont) / R. I.C.

  
जिलाधिकारी,  
चमोली।

Sdm. (K.P.S.)  
29.4.2022

स०उ०नी० कनरखुल | कृष्णा  
कृष्णा लम्बधिट राजाव अग्निलम्बे  
ने हृष्टप्रजा र वर्तमी नम्बर नि।

N.Z.A. रवाणी

संलग्न -

152 PM

रा० उ० जि० लै॒ - लन्दुला

ताहा - चोप्यांग गिला - चमोली

१८(३)(८) → अच्या कृषि वौग्य बंजर भूमि

2	3	4	5	6 to 13
वांबर				आदेश
उत्तरारण्ड	2	0.080		
सरलार	5	16.955		
	6	9.959		
	xx	xxx		
	xx	xxx		
	91	0.010		
	94	0.020		
	109	0.011		
	414	0.024		
	441	0.003		
	xx	xxx		
	xx	xxx		
	xx	xxx		
	1412	0.006		
	1413	0.009		
	1436	0.045		
	1469	4.546		
	xx	xxx		
	xx	xxx		
	2266	0.095		
	2268	1.119		
वांबर	152	95.294		

चलाल NZA रवाणी आसल से तोगार किया

स्थितिष्ठगाक्षिणि,

सोलहर  
कृष्णप्रकाश

१५०  
२१/०५/२२

नीतू खाली  
रा० उ० कॉक्हु  
तहसील ११७७ (चमोली) (2/4)



## AGENCY COPY

**गोपनीय बँड़ा** **Union Bank**  
of India

**NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

Date : 08-03-2022

Agency Name.	TEMPORARY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT GAUCHAR
Application No.	6162388958
MoEF/SG File No.	BB/UCP/06/80/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	office of the executive Engineer Temporary Division PWD GaucharChamoli
Amount(in Rs)	3077369/-

Amount In Words :Thirty Lakh Seventy Seven Thousand Three  
Hundred and Sixty-Nine Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following  
details;**

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896162388958 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- 09 MAR 2022*
- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may  
Email: [helpdeskcampaindia@corpbank.co.in](mailto:helpdeskcampaindia@corpbank.co.in)

Note: After making the required payment through challan even after 7 working days, then kindly mail a copy of Email: [cb0371@unionbankofindia.com](mailto:cb0371@unionbankofindia.com)

## शर्त संख्या ५ (ख)


परियोजना का नाम— चमोली में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाङ—डिलोली—रिखोली—

पारतोली—किमोली मोटर मार्ग के अन्तर्गत नव निर्माण हेतु २.२ हेठले वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online proposal No- FP/UK/ROAD/62388/2020)

### एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बड़ोतारी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

  
 सहायक अधियन्ता  
 निर्माण खण्ड लो०नी०वी०  
 गौचर

  
 अधिकारी अधियन्ता  
 निर्माण खण्ड लो०नी०वी०  
 (N) गौचर



**PARIVESH**  
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub" Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Government of India

परिवेश - 4



My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

4:01:57 PM



No.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter	
	FP/UK/ROAD/62388/2020	ROAD623882020958	6162388958	29 Oct 2021	<b>CA:</b> 1631969/- , <b>Addl CA :</b> 0/- <b>PCA:</b> 0/- , <b>CAT :</b> 0/- <b>Safety Zone:</b> 0/- , <b>Addl PA :</b> 0/- <b>NPV:</b> 1445400/- , <b>Other Charges :</b> 0/- <b>Other Charges1:</b> 0/- <b>Other Charges2:</b> 0/- <b>Other Charges3:</b> 0/- <b>Total :</b> 3077369/-		<b>Fund Demand Verified by</b> <b>Nodal Officer On</b> <b>Bank Name</b> <b>Mode of Payment</b> <b>Challan Generated On</b> <b>Transaction Date</b>	:08 Mar 2022 :Union Bank Of India :NEFT/RTGS (Challan) :08 Mar 2022 :09 Mar 2022	Demand Letter Generated Challan
	FP/UK/ROAD/42439/2019	ROAD424392019666	6142439666	26 Mar 2021	<b>CA:</b> 0/- , <b>Addl CA :</b> 0/- <b>PCA:</b> 0/- , <b>CAT :</b> 0/- <b>Safety Zone:</b> 0/- , <b>Addl PA :</b> 0/- <b>NPV:</b> 243090/- , <b>Road side /gap filling plantation :</b> 146400/- <b>Other Charges1:</b> 0/- <b>Other Charges2:</b> 0/- <b>Other Charges3:</b> 0/- <b>Total :</b> 389490/-		<b>Fund Demand Verified by</b> <b>Nodal Officer On</b> <b>Bank Name</b> <b>Mode of Payment</b> <b>Challan Generated On</b> <b>Transaction Date</b>	:30 Sep 2021 :Union Bank Of India :NEFT/RTGS (Challan) :30 Oct 2021 :30 Oct 2021	Demand Letter Generated Challan
	FP/UK/ROAD/48583/2020	ROAD485832020777	6148583777	31 Dec 2020	<b>CA:</b> 175335/- , <b>Addl CA :</b> 0/- <b>PCA:</b> 0/- , <b>CAT :</b> 0/- <b>Safety Zone:</b> 0/- , <b>Addl PA :</b> 0/- <b>NPV:</b> 170820/- , <b>Other Charges :</b> 0/- <b>Other Charges1:</b> 0/- <b>Other Charges2:</b> 0/- <b>Other Charges3:</b> 0/- <b>Total :</b> 346155/-		<b>Fund Demand Verified by</b> <b>Nodal Officer On</b> <b>Bank Name</b> <b>Mode of Payment</b> <b>Challan Generated On</b> <b>Transaction Date</b>	:26 Mar 2021 :Union Bank Of India :NEFT/RTGS (Challan) :09 Apr 2021 :09 Apr 2021	Demand Letter Generated Challan
	FP/UK/ROAD/31469/2018	ROAD314692018239	6131469239	30 Sep 2020	<b>CA:</b> 57995/- , <b>Addl CA :</b> 0/- <b>PCA:</b> 0/- , <b>CAT :</b> 0/- <b>Safety Zone:</b> 0/- , <b>Addl PA :</b> 0/- <b>NPV:</b> 565020/- , <b>Other Charges :</b> 0/- <b>Other Charges1:</b> 0/- <b>Other Charges2:</b> 0/- <b>Other Charges3:</b> 0/- <b>Total :</b> 1144976/-		<b>Fund Demand Verified by</b> <b>Nodal Officer On</b> <b>Bank Name</b> <b>Mode of Payment</b> <b>Challan Generated On</b> <b>Transaction Date</b>	:10 Mar 2021 :Corporation Bank :NEFT/RTGS (Challan) :12 Mar 2021 :17 Mar 2021	Demand Letter Generated Challan
	FP/UK/ROAD/42515/2019	ROAD425152019237	6142515237	07 Oct 2020	<b>CA:</b> 0/- , <b>Addl CA :</b> 0/-		<b>Fund Demand Verified by</b> 	Demand Letter	

सहायक अधिकारी  
विभाग उप लोगोविधि  
बौद्ध



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

ई-मेल/विदेशवाहक द्वारा

Phone/Fax No.: 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक 110 / 1 सी10 वन

दिनांक 24/01/2023

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग  
गोपेश्वर।

विषय:-

जनपद चमोली में माओगुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार ग्वाड़-डिडोली-रिखतोली-पारतोली- किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.2 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0निर्विठो को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक संख्या 1375/छब्बीस-एल0ए0सी10 (2022-23) दिनांक 17.12.2022 एवं आपका पत्रांक संख्या 597/12-1 दिनांक 02.8.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत करना है माओगुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड़-डिडोली-रिखतोली-पारतोली- किमोली मोटर मार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (क) के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु रूल ग्राम ग्वाड़ सिविल भूमि खसरा सं 1469 में 4.40 है0 भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 3827/छब्बी-18 (2021-22) गोपेश्वर दिनांक 11.04.2022 द्वारा प्राप्त है।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु नामान्तरण/हस्तान्तरण प्रमाण पत्र के अतिरिक्त, एक प्रमाण पत्र जिलाधिकारी चमोली के पत्र संख्या 1375/छब्बीस-एल0ए0सी10 (2022-23) गोपेश्वर दिनांक 17.12.2022 द्वारा उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग की जॉच आख्या के साथ निर्गत किया गया है, जिसमें उल्लेख हेतु कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा किताना है तथा उसमें से किताना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखित खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठि प्रस्ताव में नहीं दिया गया हो। उक्त प्रमाण पत्र मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति एवं वृक्षों के छपान हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न— जिलाधिकारी चमोली का पत्र संख्या 1375/

छब्बीस-एल0ए0सी10 (2022-23) गोपेश्वर दिनांक 17.12.2022  
मूल में मय संलग्नों सहित।

पत्रांक संख्या

/1सी10 वन

तददिनांक

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— सहायक अभियन्ता द्वितीय निर्माण खण्ड लो0निर्विठो गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न— उपरोक्तानुसार इयाप्रति में।

मवदीय

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो0निर्विठो

गौचर (चमोली)  
24/01/23

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो0निर्विठो  
गौचर (चमोली)

N-72/dk 26

24/11/23  
ईमेल

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 1375 / छब्बीस-एल०४०सी०(2022-23) गोपेश्वर: दिनांक: 17 दिसम्बर 2021

✓ अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गौचर।

विषय: जनपद चमोली में माठमुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार ग्वाड़-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 2.2 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं०-1943 / १सी० वन दिनांक 29.11.2022 के कम में उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग ने अपने पत्र सं०-182 / २०का० / ग्वाड़-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग / (2022-2023) दिनांक 13 दिसम्बर 2022 के साथ इस आशय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि जनपद चमोली में माठमुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार ग्वाड़-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नव निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.2 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम ग्वाड़ की ख०खा०सं०-२१ के खसरा सं०-1469 रकबा 4.548 है० भूमि मध्ये 4.400 है० सिविल भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-९(3)ड. कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, का वन विभाग के पक्ष नामान्तरण किया गया है। उक्त भूमि पूर्व में अन्य योजना अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत गठित अन्य प्रस्तावों में नहीं दिया गया है।

अतः उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की जांच आख्या के साथ प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।


संलग्नक-उक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय, चमोली के अवलोकनार्थ प्रेषित।

Signed by Dr Abhishek

Tripathi

Date: 18-12-2022 19:28:40

 अपर जिलाधिकारी,  
चमोली।



प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,  
कर्णप्रयाग।

ADM/LACI

२०२२  
१५.१२.२२

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
चमोली।

पत्रांक-102/र0का0/ग्वाड डिडोली रिखतोली पारतोली किमोली मोटर मार्ग / ( 2022-23) दिनांक 13, दिसम्बर, 2022  
विषय :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री जी की धोषणा नुसार ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली  
मोटर गार्ग के अन्तर्गत नव निर्माण हेतु 2.200 हौ० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण  
विभाग को प्रत्यार्वातन। (Online proposal No-FP/UK/ROAD/62388/2020)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर के  
पत्र संख्या-1943/1 सी० वन दिनांक 29.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा क्षतिपूरक  
वृक्षारोपण हेतु प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकबा कितना है तथा उसमें कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल-खारिज  
किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में  
गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया हो, के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है। प्रकरण में अवगत करना है कि उक्त प्रस्तावित  
स्थल के सम्बन्ध में राजस्व उपनिरीक्षक कन्खुल से आख्या प्राप्त की गयी है। राजस्व उपनिरीक्षक कन्खुल के द्वारा इस  
आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है कि- ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नव निर्माण  
संख्या-21 के खसरा संख्या 1469 रकबा 4.548 हैक्टेयर भूमि मध्ये 4.400 हौ० भूमि वन विभाग के पक्ष में नागान्तरण किया  
गया है। उक्त भूमि श्रेणी 9(3) डः की है तथा उक्त भूमि पूर्व में अन्य योजना अन्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के  
अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक का प्रमाणपत्र संलग्न है।

संलग्न- यथोक्त।

(अन्तोष कुमार पाण्डेय)  
उप जिलाधिकारी,  
कर्णप्रयाग।

प्रतिलिपि-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही  
हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,  
कर्णप्रयाग।

-:: प्रमाणपत्र ::-

प्रमाणित किया जाता है कि ग्वाड़-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नव निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.200 हेक्टेयर भूमि के एवज में ग्राम ग्वाड़, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कनखुल तहसील कर्णप्रयाग, जनपद चमोली की खतौनी खाता संख्या-21 के खसरा संख्या 1469 रकबा 4.548 हैक्टेयर भूमि मध्ये 4.400 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण किया गया है। उक्त भूमि श्रेणी 9(3) (ड:) की है तथा उक्त भूमि पूर्व में अन्य योजना अन्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

h.e. Nirohit  
12/12/2022 कालांगड़

Aff /  
Aff. No. 1000 (K.P.)  
R.K. (K.P.)

e.s.

✓

JW  
उप जिलाधिकारी  
कर्णप्रयाग